कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक– 2158 /अमरोहा/19948/2016, दिनांक, लखनऊ, जनवरी 15 , 2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय : अमरोहा में बदायूँ–बिजनौर मार्ग (छ॰51) के किमी0 113.100 की दायीं पटरी पर ग्राम–निजामपुर शर्की के खसरा सं0–79 में एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0759 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 08 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः भारत सरकार का पत्रांक–8बी/यूपी/06/45/2017/एफसी/643, दि0 28.11.2017,
उ0प्र0शासन का पत्रांक–भा0स0–307/14–2–2017–800(148)/2017, दि0 11.12.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा अपेक्षित सूचना/अभिलेख शासन को उपलब्ध कराने हेतु शासन के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा निर्देश दिये गये थे। वांछित सूचनायें सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थीं।

उक्त के क्रम में वन संरक्षक, मुरादाबाद के पत्रांक–2372/14–1, दिनांक 30.12.2017 द्वारा बिन्दुवार वांछित सूचना एवं अभिलेख इस कार्यालय को प्रेषित किये गये हैं, जिसे दो प्रतियों में एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रकरण में स्वीकृति निर्गत कराने की कृपा करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर0 आर0 जमुआर)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1– वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।

2– प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा।

(आर0 आर0 जमुआर)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।